[भारत के राजपत्र (असाधारण) के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

((केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 14 /2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.------(अ), - केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41/1999-सीमा शुल्क दिनांक 28 अप्रैल, 1999 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 289 (अ), दिनांक 28 अप्रैल, 1999 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, इसके आगे उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

2. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 1 में, परंतुक में, शब्द ''निर्यातों के लिए'' हटाया जाता है।

फा.सं.डीजीईपी/जीएंडजे/44/2017

(धर्मवीर शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी **:-** दिनांक 28 अप्रैल, 1999 की प्रधान अधिसूचना सं. 41/1999-सीमा शुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 28 अप्रैल, 1999 की सा.का.नि. सं. 289 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 15 मई, 2015 की सा.का.नि. सं. 387 (अ) के अंतर्गत दिनांक 15 मई, 2015 की अधिसूचना सं. 33/2015-सीमा शुल्क के अंतर्गत इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।